FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम 25

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

सुरेश पुत्र श्री चन्दगीप्रसाद वगै0 जाति ब्राहम्ण निवासी सिरयानी तह0 नीमराना

केला देवी पत्नी श्री नित्यानन्द वगै0 जाति माली निवासी सिरयानी तह0 नीमराना

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट मु0न0 121 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	02-05-2024 आज यह प्रार्थना पत्र मूल वाद के साथ पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थीगण स्वयं उपस्थित। प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का प्रकरण पृथम दृष्टया बनता है। सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में होना प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्दरोजा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 792 वाके ग्राम सिरयानी तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान के मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। क्यौना उक्त आदेश ताफैसला वाद सम्पुष्ठ कर दिया जावे। इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो आप स्वंय अथवा जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब पेश करें। अप्रार्थीगण जरिये रजि0 नोटिस तलवाना से तलब हो। प्रार्थी रजि0 तलवाना पेश करे। प्रार्थी यदि आगामी तिथि से पूर्व रजि0 नोटिस तलबाना पेश करने में विफल रहता है तो उक्त आदेश अपास्त माना जाएगा। पत्रावली वास्ते रजि0 तलबी दिनांक 26.06.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)	

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... मुकदमा ....

.... बनाम ....

किस्म मुकदमा .... नं .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.6.24	आज पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में दि० 2-5-24 को स्थगन आदेश [illegible] आयोग निर्णय तक कार्यवाही स्थगित है। पत्रावली [illegible] / शेष [illegible] तलबी दि० 18.7.24 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)	
18.7.24	आज पत्रावली पेश हुई। वकूलाव फरीकेन उप श्री पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश~~/दोरे मिटिंग मे पधारे है। पत्रावली उनके समक्ष दि० 25.7.24 को पेश हो। [initials] जिला स्तरीय जनसुनवाई	
25-7-24	आज पत्रावली पेश हुई। वकूलाव फरीकेन उप श्री पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश~~/दोरे मिटिंग मे पधारे है। पत्रावली उनके समक्ष दि० 7-8-24 को पेश हो। [initials]	
7-8-24	आज पत्रावली मूल वाद के साथ पेश हुई। पत्रावली में मूल वाद नोट प्रेस में खारिज हो चुका है, प्रार्थी वकील ने प्रा०पत्र भी नोट प्रेस किया है। अत: प्रार्थी का प्रा०पत्र नोट प्रेस में लगाया	T.I को नहीं चलाना चाहता [signature] I.d Sharma 7/8/24

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारी[illegible] अहकाम जो इ[illegible] हुक्म की तामी[illegible] जारी हु[illegible]
	खारिज किया जाता है। पत्रा० फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति संलग्न मूल बाद रहे है। उपखण्ड अधिकारी नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)	